पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट

जुलाई - सितम्बर

परियोजना रिपोर्ट

संगठन का विस्तार और मजबूती की ओर बढ़ती गतिविधिया

विषयसूची

- परिचय
- विवरण
- कार्यशैली
  - -गांव स्तर की बैठकें
  - - सदयस्ता
  - -प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - -विभिन्न विभागों का एक्सपोज़र
- घरेलु हिंसा - केसवर्क व् पैरवी
- केस अध्ययन
- हमारी आवाज़

परिचय

पर्वतीय महिला अधिकार मंच हिमाचल प्रदेश में स्थितवंचित एवं सीमान्त महिलाओं का संगठन है जो कि हाशिये के समाज की महिलाओं के नेतृतव में बना है! मंच की शुरुआत 8 मार्च 2007 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसपर हुई थी जब पंचायतों में चुनकर आई हमारे पर्वतीय राज्य के वंचित समाज की महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया! इसमें हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों से (कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी व कुल्लू) की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग,अल्पसंख्यक तथा समाज की अन्य वंचित एवं सीमांतमहिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

इसी कार्यक्रम में संकल्प लिया गया कि पर्वतीयमहिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली शारीरिक, भावनात्मक, लेंगिक, योनिक, आर्थिकतथा जातिगत हिंसा और अन्यसभी प्रकार केभेदभावों तथा वंचनाऔरजातिवादी - पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ़ संगठित रूप मेंआवाज बुलंद करेगा! इसी कार्यक्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम सभीमहिलाएं पर्वतीय महिला अधिकारमंच की रूप में संगठित होकरलिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। कई वर्षों तक इन क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए यह समझ बनी कि महिलाओं के सशक्तिकरण का काम गाँव स्तर की महिलाओं के संगठनो को मजबूत बना के ही हो सकता है।

2014 से इस मुहिम को नियमित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए गए मंच की पहुँच राज्य स्तर पर हो, इसके लिए हम सकारात्मक सोच के साथ राज्य के अन्य संगठनों के साथ संपर्क की प्रक्रिय में सक्रीय रहे हैं! आज के दिन मंच जिला मंडी और काँगड़ा में मंच सक्रीय रूप से कार्य कर रहा है!

यहां हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पर्वतीय महिला अधिकार मंच अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाली उन महिलाओं का संगठन है जो समाज में हाशिए पर रह रही है! जो महिलाएं इस मंच से जुडी हुई हैं वे कहीं न नहीं जातिगत भेदभाव का दंश झेल चुकी हैं! इसके साथ साथ ही इन महिलाओं ने घरेलू हिंसा की प्रताड़ना भी झेली हैं!

पितृसत्तात्मक समाज में रहने वाली दलित महिलाएं सबसे नीचे पायदान पर आती हैं! जातिगत भेदभाव और छुआछूत, घरेलू हिंसा की प्रताड़ना के साथ साथ पितृसत्तात्मक समाज की असमानताएं, सामान्य वर्ग की महिलाओं द्वारा उत्पीड़न व् छुआछूत ये सब दलित समाज की पीड़ित महिला के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय हैं ! इनका सामना करने के लिए दलित महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरुरी है!

पर्वतीय महिला अधिकार मंच में 1700 से अधिक महिलाएं सदस्य के रूप में जुड़ी हैं। इसके साथ ही घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं के केसों की सुनवाई करके, उनको सम्मान जनक जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करने व उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया जा रहा है।

विवरण

संगठन के कार्यषाली एक ऐसे विचार से शुरू होती है जो हिंसा से जुड़े मुद्दों को उठा कर एक समानतापूर्ण और न्यापूर्ण समाज की और बढ़ना चाहती है। हिंसा कई प्रकार की होती है ,पर वो जिस भी प्रकार की हो उसकी आधारशिला एक ऐसी मानसिकता में गठित है जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के खिलाफ है। हिंसा के कई पहलु होते है पर वो जाति और लिंग के बीच की रेखा पर अपने आप को बढ़ावा देती है। जिन जिलों में मंच काम कर रहा है वहा एक ऐसे संगठन की ज़रुरत महसूस हुई जहा जातिगत और महिला हिंसा से जुड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए एक मंच तैयार हो सके। संगठन ने शुरुआत से ही हर प्रकार की हिंसा पर ध्यान दिया है पर उसकी नीव घर से होने वाली हिंसा, या घरेलु हिंसा पर रखी गयी। ऐसा इसलिए क्यूंकि हम मानते है घर के इर्द गिर्द से ही समाज की जड़े बनती है। और महिला को केंद्र पर रखते हुए हम घरेलु हिंसा से जुड़े कई पहलुओं पर एक समग्र विकास की चेतना बुनते है। विचार और उससे पैदा होती गतिविधि का मेल बनाते हुए, मंच की कोशिश है की हम हिंसा के व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक से लेकर राजनीतिक पक्ष को समझे और उनपर काम करे। भिन्न वर्गों में जैसे गाँव सतर के समूहों, पंचायत, अंतर्राष्ट्रीय समूह और महिलाओं के साथ मिलकर काम करते है जो हमे विभिन्न विभागों तक पहुँचने में मदद करता है | हिंसा के 'क्यों' और 'कैसे' को समझते हुए कोशिश ये है की महिलाओं या अन्य शोषित वर्ग के लिए गाँव से शुरू होता हुआ एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहा वो अपने आप को शुरक्षित महसूस कर सके। मंच कानूनी, और व्यक्तिगत मेल में हिंसा से जुडी मानसिकता को समझकर फिर से एक नया नजरिया देना चाहता है। यह नजरिया हर पल मंच के साथ बढ़ रहा है और हमारे कई कार्य में खुदको दर्शाता है। इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए पिछले महीनों में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट ने अपने विस्तार और
मजबूतीकरण पर काम किया। सदयस्यता के माध्यम से विस्तार करते हुए हम ऐसा संगठन तैयार करना चाहते है जो हिंसा गठित समाज में महिलाओ के लिए एक राहत का स्रोत बन सके। हिंसा पर अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए मंच गाँव स्तर पर एक सहयोग का वातावरण बनाकर अपने काम को एक नयी गहराई दे रहा है ।

पिछले तीन महीने में निरंतर गाँव स्तर के समूहों को एक जगह संगठित करना इसका ज़रूरी हिस्सा माना गया क्यूंकि गाँव स्तर के अधिकतर समूह सक्रीय नहीं है। उनको फिर से सक्रीय कर के सदस्यों में हिंसा से जुड़े मुद्दों, खास कर “ घरेलू हिंसा” पर उनकी समझ बनाने का प्रयास किया गया। इससे हमे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के आस-पास एक संगठन तैयार करने में मदद मिलती है , जिसमे पंचायत, महिला मंडल व् स्वेम सहायता समूह के सक्रिय सदस्य हों जो जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता के लिए तत्पर रहे । इससे दबाव और सहने की मानसिकता कमजोर होती है और महिला को हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने में हिम्मत मिलती है। इस के साथ साथ जिन गाँव में बैठकें हो रही है, उन गाँव में पर्वतीय महला अधिकार मंच की सदस्यता भी की जा रही है जिसका मुख्य उदेश्य है की महिलायो के भीतर संगठित होने का भाव पैदा हो, अकेलेपन का डर दूर हो, व् संगठन में सदस्यता के ज़रिये वो अकेला महसूस न करकर, अपने संगर्ष को समझें !

अंक विवरण

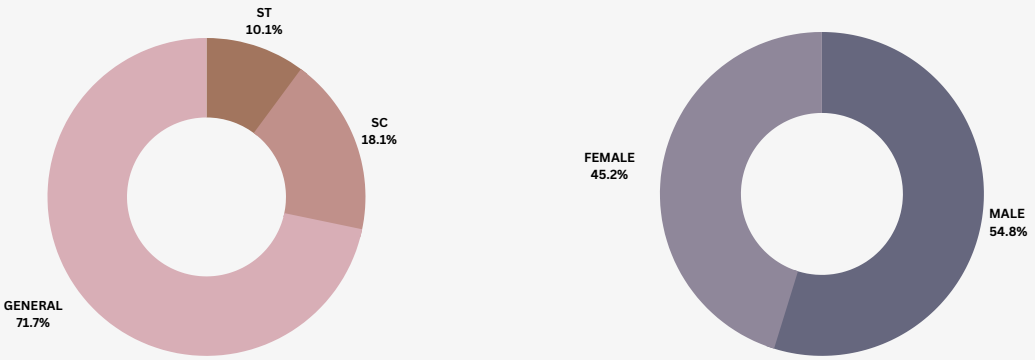

कुल 18 पंचायतों में 120 गाँव तक

गाँव स्तर की बैठकें

मंच क्यों ज़रूरी है ?

गाँव् स्तर पर मंच द्वारा की कई बैठकों के पीछे की कोशिश रही की विभिन्न प्रकार के समूहों को एकग्रित करकर मंच को गाँव स्तर पर लोगों से परिचित कराया जा सके, और साथ ही में संगठन की बात को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए पंचायतों में विभाजित गाँवों में हमारे महिला कार्यकर्ताओ द्वारा कई बैठकों का आयोजन हुआ। ये बैठकें मंच की सदयस्यता को तो बढ़ावा देती ही है, पर उसके अन्तर्ग्रत एक ऐसा माहौल पैदा करती है जहा लोग इक्कठा हो कर एक दुसरे के साथ बातचीत कर सके। इससे मंच को भी अपनी बात आगे रखने में सहायता मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंच बनाई जाती है। "संगठन की क्या ज़रुरत है ?" या "ये संगठन क्या है ?" जैसे सवाल उभर कर आते है जो हमे एक विचारात्मक कदम की और लेकर बढ़ते है, और लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका देते है। इसके तहत पंचायत में आने वाली स्कीमें, क़ानूनी जानकारी जेसे (ICDS), एकीकृत बाल विकास योजना, मनरेगा, घरेलू हिंसा व् अन्य योजनाओं पर मार्गदर्शन किया जाता है !इन् बैठकों के ज़रिये जन के कई मुद्दे निकलकर आते है जो हमारी कार्यशाली का हिस्सा बनते है और गाँव की महिलाओं को अपने घर से बहार एक जगह मिलती है ।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	कुल पंचायत	कुल गाँव	कुल बैठकें	कुल सदस्य	कुल सदस्यता
01.	सीमा देवी	3	16	23	399	46
02.	सरला देवी	4	20	20	360	55
03.	ममता देवी	4	20	23	415	79
04.	मधु देवी	3	16	16	194	42
05.	सकीना देवी	4	24	20	231	25
06.	लता देवी	3	24	20	282	63
कुल I	06	20	120	130	1881	310

पिछले तीन महीनों में **20 पंचायतों के कुल 120 गाँव में कुल 130 बैठके हुईं ! जिसमे 1881 सदस्यों** ने भाग लिया और पर्वतीय महिला अधिकार मंच की 310 नई सदस्य जुड़ीं !

बैठकों से निकल कर आये मुद्दे

हिंसा से सम्बन्धित समस्या

हिंसा किसी भी प्रकार की हो मंच उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बचनबद्द है ! इसलिय गाँव स्तर की बैठकों में जब हिंसा से सम्बन्धित कोई मुद्दा आता है तो उसे प्राथमिकता के तोर पर लिया जाता है ! जैसे घरेलु हिंसा, योन हिंसा, कार्य स्थल पर होने वाली योन हिंसा या छेड़ -छाड़ और जाती सम्बन्धित हिंसा !

पानी व् बिजली

गाँव स्तर की बठकें के दौरान पानी व् बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए सुविधप्रदाता द्वरा संबंधित परिवारों से एप्लीकेशन लिखवा कर सम्बन्धित बिभागों के पास प्रभावित परिवारों को एक साथ ले जा कर समस्या के बारे में बताया जाता हैं ! बिभाग के साथ समस्या के समाधानं हेतु समय सीमा तय करते है और सबूत के तौर पर विभाग से सहमती पत्र ले कर आते ही, यदि विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा पर कार्य नहीं किया तो दुबारा जाँच पड़ताल और मंच द्वारा पैरवी की जाती है !

मनरेगा में कार्य न मिलने

जोबकार्ड धारक सदस्यों को आज तक आई समस्याओं में मुख्य है, कार्य समय पर नहीं मिलना और यदि मिल गया तो पैसा समय से न मिलना ! इस समस्या से निपटने के लिए सर्वप्रथम पंचायत में सदस्यों को ले जा कर 4 नंबर फॉर्म भरवा कर कार्य आबेदन करवाना ! इसके साथ ही गाँव स्तर की बैठकों में भाग लेने वाली सभी सदस्यों से उप ग्रामसभा व् ग्रामसभा में भाग ले कर अपने गाँव के सभी कार्यों को मिल कर सेल्फ में डलवाना, ताकि जब भी जॉब कार्ड धारक को कार्य की जरूरत हो तो कार्य मिल सके ! किसी का जोबकार्ड नहीं बना हो उसको कार्ड बनवाने में मदद करना ! इसके साथ ही बैठकों में मनरेगा कानून के बारे में बताया व् जागरूक किया जाता है ! इसके इलावा मंरेगा के साथ जुड़े श्रम कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाता हे ताकि मंरेगा कार्यकर्ता उन सभी सिविधाओं का लाभ मिल सके !

सामाजिक सुरक्षा पेन्सन

बैठकों के दौरन सरकारी हक्दारियों की जानकारी दी जाती है ! उस समय विभिन्न सरकारी सुरक्षा पैशन की जिन सदस्यों को आवश्यकता हो वह अपनी बात बैठक में रखते है ! उन्हें जरुरी दस्ताबेज तैयार करने में मदद व् मार्गदर्सन किया जाता है व् फॉर्म कहाँ जमा होने हैं के बारे में भी अवगत करवाया जाता है ! हर वो जानकारी मुहैया करवाई जाती है, जो आवश्यक हों ताकि जरूरतमंद सदस्यों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके !

सदस्यता के माध्यम से मंच का विस्तार

विस्तार के अंतर्गत हमारा मुख्य ध्यान इस बार सदस्यता पर रह। हालाँकि सदयस्ता बस एक आंकड़ा दिखाता है लेकिन हम मानते है की सदयस्ता से जुड़ा कार्य आंकड़ों के साथ-साथ गाँव में बढ़ती समझ को भी दर्शाता है। कार्यकर्ताओ की ट्रेनिंग के बाद जब वो गाँव सतर पर महिलाओ से मिलती है और सदयस्ता कराती है , तब ध्यान सिर्फ दाखिला पर नहीं होता । कोशिश ये रहती है की जो भी महिला मंच से संपर्क में आये, वो नए विचारो और एक सुरक्षित माहौल में आ सके जहा उससे अपनी आवाज़ छिपानी न पड़े। महिलाओ का मंच के साथ सदयस्ता करने की राशि तस रूपया बकाया होता है , लेकिन हर एक महिला के मंच से जुड़ने का मतलब एक ऐसा संगठन तैयार होना है जो सादयस्ता से पैदा होती लहरों को हर घर तक पहुंचा सके। मंच से जुडी हर औरत को मंच के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और उनसे जुड़ने के मायने भी साझा किये जाते है। इससे गाँव में एक नेटवर्क बनता है, सदस्य होने से महिलाओं को एक अपनापन महसूस होता है जो हिंसा से जुड़े मुद्दों को अपने खुद के नज़र से देखने का जरिया बनता है। मंच ने पिछले तीन महीनो में चार सद्यस्ता मीटिंग का आयोजन किय। ये उन महिलों के समूह थे जो अभी अभी मंच के साथ जुडी है। मीटिंग में हिंसा से लेकर आजीविका के मुद्दे उठाये गए, और पहली बार महिलाओ को खुले दिल से मंच के बारें में बताया गया। हिंसा पर चेतना बनाते हुए उनकी तरफ से भी काफी सवाल उठे, जो आगे चलकर हमारे काम को बढ़ावा देते है।

क्र.सं .	गाँव का नाम	पंचायत का नाम	बैठक की तिथि	कुल सदस्य
01.	भट्टू	भट्टू	19/09/2022	66
02.	भेठ्झिक्ली	भेठ्झिक्ली	20/09/2022	75
03.	कोसरी	कोसरी	26/09/2022	60
04.	गुनेहड़	गुनेहड	27/09/2022	65
Total	4	4	4	266

GRAND TOTAL $ 150,000.00

कुल चार ऐसी आयोजित मीटिंग में 294 महिलाओं ने गाँव स्तर पर भाग लिया।

उपरोक्त बैठकों में मुख्य चर्चित बिंदु -

- नई सदस्यता सदस्यों का सवागत !
- घरेलू हिंसा कानून पर जानकारी !
- मंच की सदस्यों को पीड़ित महलाओं के आस पास सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना !
- महिला एसा कौन सा काम करना चाहती है जो उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद कर सके !
- सदस्यों को पाइन नीडल प्रशिक्षण की आजीविका से परिचित किया गया !
- आजीविका मेला जून 2023 में होगा उसके लिए आजीविका प्रशिक्षण की तैयारी !
- थियेटर प्रशिक्षण में कौन सदस्य भाग लेना चाहती है ताकि आगे चल कर घरेलू हिंसा से मुक्ति अभियान में मददगार साबित हो सके !

बैठकों में निकल कर आये मुद्दे -

- सदस्यता बैठको के दौरान सभी पंचायतों, कोसरी, भट्टू, भेठ्झिक्ली और गुनेहड़ के सभी सहभागी सदस्यों ने आजीविका समूहों की सूचि बना कर भेजना और पाइन नीडल का प्रशिक्षण पाने के लिए तैयार है !
- भट्टू पंचायत में एक योंन हिंसा से सम्बन्धित मामला सामने आया !
- भेठ्झिक्ली पंचायत में 2 केस घरेलू हिंसा के सामने आये !

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मंच की कोशिश होती है की मानसिकशारीरिक और व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़े लोग विक्सित हो सके और ऐसे कार्यों में हिस्सा ले जो हिंसा से जुड़े हर पहलु का आचरण कर सके। ऐसे कार्यक्रम की विषय सूची स विभिन्न प्रकार की होती है और वो उस वक़्त की ज़रूरत को नज़र में रखते हुए तैयार किये जाते है। अलग अलग वर्गों के साथ काम करते हुए, कार्यक्रम महिलाओ, सरकारी प्रतिनिधि और हिंसा के उत्तरजीवियों के साथ किया गया।

प्रशिक्षण में कोशिश यह रहती है की हम सब एक साथ इकठ्ठा होकर एक आपसी समझ और सीखने का माहौल तैयार करे। ये भी कोशिश रहती है की महिला आगे आकर अपने विकास से जुड़े मुद्दों में भाग ले सके। गाँव सतर पर किये जाने वाले इन कार्यक्रमों मे इस बार हमने कला, ट्रेनिंग, और अभिमुखीकरण जैसे तरीकों के ज़रिये मंच में हिंसामुक्त कार्यों को करने का वातावरण बनाया। इससे मंच को भी बल मिलता है और संगठन को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम तैयार होता है।

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की तिथि	सदस्य संख्या
01.	-	थियेटर कार्यक्रम	14/07/2022	196
02.	वैनलीडो प्रशिक्षण	-	19,20,21/07/2022	18
03.	-	घ्रेलुहिंसा सर्वाइवर बैठक	28/08/2022	20
04.	PRIs ओरिएंटेशन	-	21/09/2022	60

कार्यक्रम व् प्रशिक्षण करवाए गये ! जिसमे कुल 294 मेंबर्स ने भाग लिया |

वैनलीडो कार्यक्रम

वैनलीडो प्रशिक्षण में 18 सहभागियों ने भाग लिया ! इस प्रशिक्षण में घरेलुहिंसा से पीड़ित सदस्यों को ही बुलाया गया था ! जिसका एक ही उदेश्य था कि हिंसा जो मानसिक व् शारीरिक पीड़ा पंहुची है उस से उभर सके और आने वाले समय में खुद की रक्षा कैसे करनी है के दाओपेच सिख सकें !

कई महिलाओं ने अपने जीवन के साथ-साथ कार्य स्थितियों में अलग-अलग हिंसा का सामना करने के व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। आपत्तिजनक टिप्पणियों, अनुपयुक्त रूप से देखे जाने तक, उत्पीड़न और आक्रामकता के अधिक गंभीर रूपों का सामना करना पड़ता है । उनमें से कुछ ने घरेलू हिंसा की उन स्थितियों का विवरण साझा किया जिनका वे अपने परिवारों में सामना कर रहे थे। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से समस्या का सामना करने वाली कुछ सामान्य हिंसक स्थितियों को हल किया और उनका विरोध करने के लिए रचनात्मक तरीकों के बारे में सोचा। यौन कार्यशाला सत्रों ने उन्हें इन व्यवहारों को समझने और अपने स्वयं के अनुभवों के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकें और सुनिश्चित कर सकें और उनके द्वारा सामना की जा रही आक्रामकता को समाप्त कर सकें।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सीखना और आक्रामकता को कैसे कम करना (रोकना) है; आंतरिक शक्तिहीनता से पैदा हुए यांत्रिक व्यवहारों को समझना और उन्हें व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सुरक्षा में बदलना।

थिएटर कार्यक्रम

एक दिवसीय थियेटर कार्यक्रम में 20 पंचायतों के 60 महिला मंडलों व् अन्य संगठनों के 196 सदस्यों ने भाग लिया ! इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट व् कलाधरी संगठन दोनों का सहयोग रहा ! कला के माध्यम से गाँव की महिलाओं को अपने आस पास की जगह और उसमे हो रही हिंसा को लेकर जागरूक तो किया ही गया, पर उन्हें एक संगठन के नीचे एकाग्रित होकर बात करने का भी मौका मिला। नाटक एक ऐसा तरीका है जो व्यक्तिगत से सामाजिक का जोड़ बड़े अच्छे से बताता है, और इस पर हमने बस व् ट्रेन में सफर करते समय छेड़छाड़ व् शादी में छेड़छाड़ को प्ले के माध्यम से दर्शाया ! ये मुद्दा इसलिए ज़रूरी है क्यूंकि ये गाँव में महिलाओं पर हर प्रकार की हिंसा से जुड़ा हुआ है । इसपे बात करना महिलाओं को एक ऐसा मंच भी देता है जहां वो अपने से जुडी बातों पर ज़्यादा ध्यान दे सके। नाटक के माध्यम से संगठित होकर खुद नये विचारों से अवगत होना सफल रहा। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम के लिए अपने महिला सदस्यों से सहयोग मांगते है और चाहते है ज़्यादा से ज़्यादा महिला नाटकों का हिस्सा बन सके।

पंचायत प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण

21 सितंबर 2022 को पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट ने ग्राम स्तर पर नागरिक और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक संवाद चैनल बनाने के उद्देश्य से एक सत्र का आयोजन किया। ओरिएंटेशन में 20 पंचायतों के 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ! जिसमे उन्ही 20 पंचायतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिन पंचायतों में पर्वतीय महिला अधिकार मंच कार्य कर रहा है ! हमारा मानना है कि ग्रामों के मामलों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पंचायत कार्यालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लिंग-जाति आधारित हिंसा के मामलों से निपटने के लिए जागरूकता में गंभीर कमी के साथ-साथ पंचायत कार्यालयों में ऐसे मामलों के दैनिक आने की तथ्यात्मक वास्तविकता को देखते हुए, हमने सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न मामलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिनिधियों को एक साथ एकत्रित करने का प्रयास किया। 'सामाजिक न्याय के मामलों पर ग्रामपंचायतों के प्रतिनिधियों के अभिमुखीकरण ' के एजेंडे के तहत आसपास के 20 से अधिक गांवों के प्रधान और वार्ड सदस्यों को आमंत्रित करते हुए, हम घरेलू हिंसा के मामलों पर विचार करने के लिए एक सफल बैठक आयोजित करने में सक्षम थे। सही कानूनी/गैर कानूनी हस्तक्षेप, लिंग आधारित पूर्वाग्रह, लिंग संवेदनशील पंचायत घर बनाना, लिंग-जाति आधारित दुर्व्यवहार की वास्तविकता, न्याय और यौन अधिकारों आदि के प्रति प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत विचारों और दृष्टिकोणों पर चर्चा हुई। पंचायत महिला के लिए सुरक्षित बन सके व् सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी उठा सके इसके साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा।

घरेलू हिंसा सर्वाइवर बैठक

हिंसा से जूझ रही महिलाओं के पास अधिकतर ऐसी जगह की कमी होती है जहा वो अपने आप को व्यक्त कर सके। ट्रस्ट ने कंडवाडी संभावना में घरेलू हिंसा सर्वाइवर ओरिएंटेशन का आयोजन किया। पहला सत्र की शुरुआत एक गाने से हुई जिससे मीटिंग में आयी हुई सर्वाइवर की हिचक दूर हुई और खुला माहौल बना। गाने के बाद महिलाओं ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। परिचय में २ महिलाओं को आमने सामने बैठाया गया और एक दूसरे को स्पर्श करने को कहा गया । महिलाओं ने अपना नाम ,गांव, क्या हिंसा हुई ,मदद किस से मिली, और अब उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में चर्चा हुई।

गुब्बारे और टूथपिक वाला खेल खिलाया गया जिसमे गुबारें को बचाने का प्रयास को खुदको हिंसा से बचाने के प्रयास से जोड़ा। एक योग क्रिया और एक संगीत थेरेपी कराई। पूछने पर सब ने अपने अपने विचारों को बताया , किसी को हरी हरी घास बहुत अच्छी लगी। घर की दिनचर्या के बारे में बात रखी और पुछा गया की महिलाएं कब ख़ुशी महसूस करती है। फिर डार्लिंग मूवी दिखाई गई। सब बहनों ने इसे बड़े शौक और ध्यान से देखा। ऐसे माध्यमों से हमने कोशिश करी की भावनात्मक तरीकों से महिलाओं को समझे और उन्हें मनोरंजन भी दे।

अंत में महिलाओं के बीच सुरक्षा नेटवर्क बनाने पर ज़ोर देते हुए ऐसी योजना बनाने की बात की जो हमे अत्याचार से मुक्त कर सके।

विभिन्न विभागों और निकाय का एक्सपोज़र

मंच समाज के दुसरे सम्बंधित विभागों के साथ मिलकर अपनी विचारधारा को अलग अलग माध्यमों से लोगों में पहुंचता है। इसमें मंच क सदस्य भाग लेते है और महिला कार्यकर्ताओ की ट्रेनिंग भी होती है। मंच महिला न्याय और घरेलु हिंसा पीड़ित की मदद के सन्दर्भ में अपनी बात विभिन्न विभागो में रखते है। सरकारी विभाग ज़्यादातर महिला पक्षपात और पुरुष प्रधान होते है। इस कारण बहुत बात महिला को सही रहत नहीं मिल पाती। पिछले महीनों में मंच की कोशिश रही की लिंग और जाति से जुड़े मुद्दों और उनकी असमानताओं पर विभागों का नेतृव किया जाए। इसके लिए जेंडर बजट में खामियां, व् जाति शोषण आदि जैसे मुद्दों पर बातचीत की। इन् कार्यों के पीछे की कोशिश ये भी है की सरकार और जन के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

अनुसूचित जाति आयोग - एक दिवसीय संगोष्ठी

मंच ने 31 अगस्त को आयोजित हुए " आज़ादी के 75 वर्षों में अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जाति वर्गों की समस्याओं के समाधान में भूमिका" में अपनी बात रखी। अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सामाजिक हालात, संविधान के कानून , और शिक्षा कल्याण से जुड़े कई चर्चित बिंदु रहे। मंच ने महिलाओं के सन्दर्भ में बात करते हुए जेंडर बजटिंग का मुद्दा खड़ा किया। बजटिंग सरकार का एक मुख्य काम है लेकिन कही न कही उससे महिलाओं के उत्थान करने में कई कमियां रह जाति है। ऐसी कमियों की जांच करते हुए, हम कैसे एक अच्छी बजटिंग की ओर बढ़ सकते है इसपर विचार साझा किये गए। जिसमे पैरवी के तौर पर पर्वतीय महिला अधिकार मंच को हिमाचल की महिलाओं की स्थिति को प्रस्तुत करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में जेंडर बजट पर पैरवी की गई!

"एक छोटे से सर्वे के माध्यम से पाया कि हिमाचल प्रदेश मे ऑफिशर पद तक पहुँचने वाली अनुसूचित जाति की महिलाएं इस साक्षरता दर मे नहीं दिखी ! इसलिए महिला और अनुसूचित जातिकी महिला मे अंतर नजर आया ! उस महिला को अभी भी सम्मान और समानता की जिंदगी जीने के लिए समाज के ताने बाने मे ही उलझकर रखा गया है! "

मलका केस पैरवी

मलका केस में MLA विजिट

घरेलू हिंसा की सताई मृत मलका को न्याय दिलाने के लिए पूर्व पहुंची MLA के घर पहुंची पर्वतीय महिला अधिकार मंच की टीम

घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला मलका देवी के केस में प्रसाशनिक करवाई में ढील के चलते पर्वतीय महिला अधिकार मंच ने पैरवी के तोर पर विपक्ष पार्टी के MLA से मिलकर केस में सही जाँच करने पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को MLA के माध्यम से फ़ोन करके मायके पक्ष के ब्यान और सही छानबीन करवाने पर दवाब बनाया!

घरेलू हिंसा

हिंसा अकसर घर से शुरू होती है और समाज पर एक गहरा निशान छोड़ती है । महिलाओं के साथ हो रही हिंसा इसका एक ऐसा उदाहरण है| महिलाओं को इतिहासिक व् समाजिक तौर पर शिक्षा, जमीन, व्यक्तिगत निर्णय,अभिव्यक्ति व् समानता से दूर रखकर, बहुत से जड़ों में बंधा गया। ज़िंदा जला डालना, बिना मर्ज़ी के बच्चे पैदा करना, शिक्षा से दूर रखना, जातिगत योन हिंसा, शरीर का श्रम व् मन का नियंत्रण कुछ ऐसे उदाहरण है जो हमे सोचने पर मजबूर करते है की महिला वर्ग का संगठित होना क्यों ज़रूरी है। महिलाओं ने जब आपस में साझा किया, तब कई प्रकार से हो रही हिंसा जो की मानसिक, शारीरिक, योनिक व् भावनात्मक पहलुओं से जुडी है वो बहार आने लगी। इसी सोच के साथ मंच घरेलु हिंसा पर विभिन्न प्रकार से काम कर रहा है जिसकी शुरुआत खुद महिला से होती है। अलग अलग यंत्रों का उपयोग करते हुए जैसे परामर्श, कानूनी मदद, सामाजिक सेवाएं, जागरूकता व् सदस्यता, रिसर्च आदि से कोशिश ये रहती है की पीड़ित महिला को हिंसा से राहत मिल सके व वो वापस अपने लिए एक सम्मानपूर्व ज़िन्दगी की तरफ बढ़ सके।

लिखित एप्लीकेशन जमा करना

"गाँव में शोषित महिलाओं के लिए एक ऐसा प्यार और सहयोग का माहौल तैयार हो, जब वो किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करे, तो उसके साथ समुदाय खड़े होने के लिए तैयार रहे। जब ज़मीनी स्तर पर हिंसा को बिलकुल भी न सहन करने की चेतना बनेगी, व घर और पडोसी की दीवारें करीब आ जाएगी, तब हम एक हिंसा मुक्त जीवन जीने का प्रयास कर सकते है। गाँव में ऐसी 3-4 महिला लीडर्स बने जिनके पास कभी भी हिंसा पीड़िता पहुँच सके और हिम्मत ले सके।"

केसवर्क

मंच का मुख्य काम पीड़िता की सुरक्षा, घरेलु हिंसा से जुड़े केस की जांच परखना और उसको सुलझाने की ओर बढ़ना है। इस प्रक्रिया में ही घरेलु हिंसा से जुडी सारी बातें निकल कर बाहर आती है। हर एक केस अलग होता है, व हर एक महिला की स्तिथि भी। इसको ध्यान में रखते हुए जब घरेलु हिंसा का केस हमारे पास आता है तो ध्यान रखा जाता है की वो महिला के आत्महित में हो। हर केस अलग होते हुए भी हम एक ढांचा तैयार करते है जिसमे सबसे सुरक्षित तरह से महिला के संग चल सके।
मंच अपनी जागरूकता व विस्तार के माध्यम से गाँव स्तर पर व्यक्तिगत बातचीत, पंचायत घर, सहयता समूह, महिला मंडल समूह, स्कूल की युवतियां अन्य जैसे समूहों में हिंसा से जुड़े मुद्दों को सक्रिय करता है। कोशिश रहती है की एक ऐसा नेटवर्क बने जहा हाशिये के घरों तक भी पहुंचा जा सके।

मंच का कार्यालय

हिंसा से पीड़ित महिला को प्रोत्सहति किया जाता है की वो मंच में आकर अपनी बात रखें। ये एक लिखित एप्लीकेशन के रूप में होता है जो महिला खुद लिखती है। इसमें उसके साथ हो रही हिंसा का उल्लेख उसकी जबानी में ही होता है जो पीड़िता को अपनी बात याद करने में मदद करता है और दर्शाता है की उन्हें यहाँ अपनी हिंसा को छुपाना नहीं है। इस दौरान मंच की महिलाएं उसके करीब रहती है जिससे वो सुरक्षित महसूस कर सके। गहन अध्यन और जांच पड़ताल होती है। केस की पेचीदगियों को समझा जाता है। आंतरिक तौर पर पीड़िता को मानसिक और व्यक्तिगत रूप से राहत देने की कोशिश रहती है जैसे वो मंच में एक अपनेपन का माहौल महसूस कर सके और खुदको व्यक्त कर सके। दूसरी ओर केस से जुड़े तथ्यों को इकठ्ठा किया जाता है और इसमें जवाबदेय लोगों तक पहुचां जाता है। स्तिथि को देखते हुए सबसे पहली कोशिश ये ही होती है की महिला पीड़िता की इत्छा और हालात को समझा जाए। मध्यमस्ता की तरफ बढ़ते हुए महिला के नेतृत्व में सम्बंधित पक्षों को बुलाकर बातचीत होती है। ये हिंसा की खिलाफ परिवारों तक पहुँचने में एक ज़रूरी कदम होता है क्यूंकि ये जागरूकता फेल जाती है की घर में हो रही हिंसा अब छुपी हुई नहीं है और अब महिलाएं चुप्पी तोड़ रही है| इस बात का ध्यान रखते हुए की महिला को ये कदम उठाने पर किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये सोचा जाता है की आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ केस कई पहलुओं में बट जाता है। स्तिथि के मुताबिक कानूनी कदम या व्यक्तिगत समझौता किया जाता है। साथ ही में पीड़िता की निजी ज़रूरतें जैसे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पर ध्यान दिया जाता है। हमारे अनुभव में केस के परिणाम अलग अलग होते है, पर देखा गया है की मंच तक पहुँचने के बाद पीड़िता को एक ऐसा माहौल देने में हम सफल रहते है जहा से वो आत्मसुधार के बारे में सोच सके। हुमारी टीम अपने नेतृत्व मेँ में केस का फॉलो अप भी करते है, और पीड़िता के साथ हमेशा के लिए एक दोस्ती हो जाती है जो संगठन की मजबूती और प्रेरणा है।

मलका केस में बैठक

क्र. सं.	महिला द्वारा आये कुल केस	पुरूषों द्वारा आये कुल केस	SC	ST	OBC	GN	मंच द्वारा हल हुए केस	कोर्ट द्वारा हल केस हुए	कुल निलंबित केस	कुल पुराने केस
01.	39	3	26	7	4	5	31	8	3	42

घरेलू हिंसा के 42 केसों का ब्यौरा - यह घरेलू हिंसा के पुराने केस है जो (जुलाई 2022) से पहले आये है जो मंच द्वारा -31 हल, कोर्ट द्वारा- 8 हल, 3 केस निलम्बित है और इन केसों में पीड़ित/पीडिता ने केस को आगे बढ़ाने से इंकार किया ! निम्न केसों में पाया गया की सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले SC-26 आये और GN-5 केस सामने आये !

पैरवी

घरेलु हिंसा के केस को सुलझाने का एक मुख्या हिस्सा मंच द्वारा की कई पैरवी होता है। मंच शुरुआत से ही कानूनी जारूकता की मदद से महिलाओं तक घरेलु हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात रखता है। जब केस मंच तक आता है तो मध्यमस्ता से और सम्बंधित पक्षों को समझते हुए, सुधर लाने की कोशिश रहती है। एक या दो बार नहीं बल्कि महिला की सहमति से कई बार बातचीत होने के बाद सलाह दी जाति है। अगर केस नहीं सुलझता है तो मंच कानूनी सलाह देते हुए महिलाओं या जुड़े परिवारों को पुलिस, पंचायत और कोर्ट तक भी लेके जाता है। अगर कोई महिला हिंसा का केस कोर्ट में दर्ज कराना चाहती है तो उन्हें वकील तक लेके जाया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है की उसकी बात को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए। मंच की पैरवी के पीछे कोशिश ये रहती है की हर महिला को अपने केस से सम्बंधित सारे रास्ते दिखाए जाए।

पुराने केस - जुलाई से सितम्बर 2022 के बिच दुबारा आये -

पिछले 3 महीनों (जुलाई से सितम्बर 2022) में निम्नलिखित घरेलू हिंसा के केस पर्वतीय महिला अधिकार मंच के पास आ चुके है ! इन केस का हमारे मंच तक पहुंचना हमारे लिए एक गर्व की बात है। हर एक महिला जो अपने पर हो रही हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए घर से बहार निकलती है, उसकी आवाज़ की गूँज बहुत गहरी होती है। मंच ने भी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों तक पहुँचने की कोशिश की। यह केस अब तक कोर्ट नहीं गये है, इन केसों में दोनों पार्टी (वादी व् प्रतिवादी) को सुन कर ही उनके कहे और इच्छा ही अनुसार बार-बार काउंसलिंग, मध्यस्ता और समझोते हुए थे ! परन्तु अब जब यह केस दुबारा आये है तो इन केसों के साथ फिर से कांउसलिंग की और सलाह केस टीम द्वारा दी गयी जो निम्न है !

क्रम संख्या	नाम	वर्ग	गाँव का नाम	केस का प्रकार	केस की तिथि	केस का अपडेट
01.	सुनीता देवी	SC	कोसरी	घरेलू हिंसा	01/08/2022	इस केस को कोर्ट में C.R.P.C.125 में डालने को कहा व् बकील से बात की ! अब अपडेट यह है कि वकील द्वारा प्रतिवादी को नॉटिक भेज दिया गया है जिसका अभी कोई जबाब नहीं आया है !
02.	ममता देवी	SC	रोपड़ी	छेड़छाड़	01/08/2022	यह केस हल हो गया है !
03.	रेखा देवी	SC	बंडिया	घरेलू हिंसा	10/08/2022	यह केस चल रहा है !
04.	बबिता देवी	SC	चन्दपुर	घरलू हिंसा	10/08/2022	बबिता देवी कअ केस 3 वर्षों से केस चल रहा है ! अब आगे केस नहीं लड़ना है और तलाक़ छाती है ! जिसमे वकील से बात हो चुकी है !
05.	संजीव कुमार	SC	स्पैडू	पत्नी को घर लेन हेतु	10/08/2022	संजीव को सलाह दी गयी किअपनी पत्नी के साथ बैठ कर बात करे ! यदि उसके माता पिता नहीं मिलने दे रहे है तो उनको सलाह दी गई कि केस धारा 9 में केस दर्ज करवाये !
06.	रीना देवी	SC	पपरोला	घरेलू हिंसा	08/09/2022	यह केस छानवीन की प्रकिरिया में चल रहा है !

घरेलु हिंसा के नए केस - जुलाई से सितम्बर 2022

क्र. सं.	नाम	वर्ग	गाँव का नाम	केस का प्रकार	केस के आने की तिथि	केस में क्या किया का ब्यौरा व् अपडेट
01.	प्रोमिला देवी	SC	जाबली सोलन	घ्रेलुहिंसा	06/07/2022	प्रोमिला देवी के फोटो में हालात देख कर तुरंत नजदीकी थाने में मंच द्वारा फोनिकली बात कर के FIR दर्ज कराई गई ! उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति देखते हुय 2 बार उनसे मिल कर कांउसलिंग की गई और अब केस कोर्ट में चल रहा है !
02.	बबिता देवी	SC	अवैरी	घ्रेलुहिंसा	12/07/2022	इस केस में बबिता देवी की मानसिक स्थिति देखते हुए 3 बार कांउसलिंग हुई है ! केस मंच के पास ही प्रकिया में चल रहा है, क्योंकि बबिता देवी वापिस घर जाना चाहती है व् कोर्ट में केस करना नहीं चाहती !
03.	मोनिका देवी	GN	डरोह	छेड़छाड़ का केस	23/08/2022	शिकायत पत्र के पश्चात बातचीत की गयी जिसमे मोनिका देवी ने कहा की उन्हें अपने पति से तलाक़ चाहती है ! जिसमे वकील से बात कराई जा चुकी है !
04.	दीपिका देवी	GN	धानाग	घरेलुहिंसा	24/08/2022	इस केस में दीपिका देवी तलाक़ चाहती है ! बकील से बातचीत चल रही है !
05.	रीनू देवी	SC	राजपुर	घ्रेलुहिंसा	24/08/2022	केस कोर्ट में चल रहा है ! रेणु देवी तलाक़ चाहती है और सशुरालसे अपना सामान वापिस लाना चाहती है ! इस सब क्र बारे में मंच द्वारा उनके वकील से बात की गई है !
06.	सुजाता देवी	SC	संसाल	घ्रेलुहिंसा	24/08/2022	शिकायत पत्र के पश्चात केस चल रहा है ! सुजाता देवी खर्चा पाना चाहती है !
07.	अनीता देवी	GN	पंचरुखी	घरेलूहिंसा	08/09/2022	यह केस अभी प्रक्रिया में है !
08.	उपमा देवी	GN	पालमपुर	प्रोपर्टी और घरेलूहिंसा	12/09/2022	सिकायत पत्र आने के पश्चात केस को कोर्ट में भेज दिया गया है !
09.	अंजना देवी	SC	चौन्तडा	घरेलूहिंसा	28/09/2022	मंच के द्वारा सम्बन्धित पंचायत व् थाने में बात की गई और फिर थाने द्वारा समझौता किया गया !क्योंकि लड़की सशुराल में ही अलग रहना चाहती थी !
10.	सुदर्शना देवी	SC	सेहल	घ्रेलुहिंसा	28/09/2022	केस आने के बाद मंच द्वारा सम्न्धित थाने व् पंचायत में बातचीत करने के पश्चात वादी को थाने जा कर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी गई ! जिसमे उनका साथ महिला मण्डल और पंचायत प्रतिनिधि भी साथ गये ! क्योंकि प्रतिवादी बहुत जयादा मारपिटाई कर के खुद ही आत्महत्या की धमकी दे रहा था !

मंच की चाल सबके साथ

पीड़ित महिला तक संगठन की पहुँच
मंच में महिला की लिखित एप्लीकेशन जमा होना
परामर्श (फैक्ट फाइंडिंग)
मध्यमस्ता (दोनों पक्षों की बातचीत)
स्यव सहायता समूह, व्यक्तिगत बातचीत, महिला मंडल, पंचायत घर और अन्य समूह
मानसिक और व्यक्तिगत सपोर्ट
कानूनी कार्यवाही
वित्त और सामाजिक सुरक्षा
समझौता
फॉलो अप
गाँव में सहयोग का नेटवर्क

केसवर्क अध्ययन

सोनू देवी

सोनू देवी की 12 साल की शादी में कई तरह के मोड़ आये ! पहला बच्चा होने के बाडी पति द्वारा हिंसा का सिलसिला शुरु हो गया था ! शारीरिक हिंसा और यौनिक हिंसा से तंग आई सोनू एक दिन पर्वतीय महिला अधिकार मंच की एक बैठक में आई और अपनी सारी पीड़ा व्यक्त की ! आर्थिक मदद न होने से हालात भी सही नहीं थे ! बड़ी मुश्किल से पहुँच पाई ! पर्वतीय महिला अधिकार मंच की टीम सोनू के पति से मिलने गई और सीधे तौर पर यौनिक हिंसा से सम्बंधित बात की जिससे वो काफी शर्मिंदा !

अब सोनू अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए खुद भी काम करती है! बस, पति को यह पसंद नहीं था कि सोनू हिंसा की बात कहीं भी करे ! सोनू ने बताया कि

वह हमेशा से ही उसके साथ हिंसक था। मंच का सुझाव था की सोनू का पति अपने परिवार के सदस्यों से समझदारी से बात करके अपनेआप में सुधार लाने की कोशिश करे। मंच की तरफ से सोनु के जीवन में सुधर लाया गया और वह अब अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही है ! मंच सोनू देवी के साथ आने वाले समय मे संम्पर्क में रहेगा !

लता देवी

लता देवी की कहानी हमें कई पहलुओं से अवगत करवाती है! आठवीं तक की पढाई छुड़वाने के बाद अंकल ने ज़बरदस्ती शादी तय कर दी ! लता की मर्जी के बिना जान पहचान के बिना शादी के बाद पता चला की पति शारीरिक रूप से निपुण नहीं था है। पंचायत तक बात पहुंची तो लता ने तलाक़ माँगा । वापस घर आने पर एक दुसरे लड़के से उसकी शादी तय कर दी गयी। शादी के एक साल के बीच गर्भपात होने के बाद मानसिक और शरीरिक हिंसा होनी शुरू हो गयी। जब लता अपने पति के साथ अलग रह रही थी तो अनजान मर्द आकर उसे परेशां करते थे। यह सब उसका पति उसे तंग करने के लिए कर रहा था! कई तरह के अत्याचार लता पर किये गए ! ससुराल वालों ने कई तरह से उसे तंग किया मगर जैसे ही लता को पर्वतीय महिला अधिकार मंच में आने का मौका मिला, काफी हिम्मत मिली! लता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच की मदद मिली ! उनके केस में एक वकील भी किया गया ! समय समय पर मंच ने अपनी भूमिका निभाई है! लता के पति की अच्छी काउंसलिंग भी की गई! केस कोर्ट में चला और लता के पक्ष में फैसला हुआ ! अब फ़ॉलोअप के दौरान पाया गया कि लता देवी अपने बच्चों और पति के साथ ससुराल के घर में खुश है! आने वाले समय में पर्वतीय महिला अधिकार मंच लता देवी के संपर्क में रहेगा!

हमारी आवाज़

हम मंच में जब इकठ्ठा होते है तब गाने भी गाते है। गाने अक्सर महिलाओं की जगृति से संबंधित होते हैं! गाने के बोल भी जागरूकता से भरे होते हैं! धुन तो इतनी मैत्रीपूर्ण होती है मानो एक ही शब्द में कई सन्देश दिए जा रहे हों! यह गाने रेडियो या चैनल पर सुनने को नहीं मिलते। महिलाएं सब एक साथ ही बैठ कर गाती है। जो महिला पहली बार मंच में मिलने आती है, तब वो डरी हुई होती है, हम उन्हें गानों के मध्यम से हिम्मत व् होंसला दिलाते हैं जिस वजह से वे लोग भी अपनी ज़िंदगी को अलग नजरिये से देखने लगती हैं!

तोड़ के बंधनों को देखो बहना आती है
वो देखो लोगो देखो बहना आती है
आयेंगी, जुल्म मिटाएंगी
वो तो नया ज़माना लायेगी

डर को तोड़ेंगी, ख़ामोशी को तोड़ेंगी
हाँ मेरी बहना अब ख़ामोशी को तोड़ेगी
मौत को और डर को मिलकर पीछे छोड़ेंगी
हाँ मेरी बहनी अब डर को पीछे छोड़ेंगी
वो देखो लोगो देखो बहना आती है

मिलकर लडती जाएगी वो आगे बढती जाएगी
हाँ मेरी बहना अब आगे बढती जाएँगी
नाचेंगी और गाएगी वो आगे बढती जाएँगी
हाँ मेरी बहना मिलकर ख़ुशी मनाएगी,

तोड़-तोड़ के बंधनों को देखो बहना आती है
वो देखो लोगो देखो बहना आती है

बहना पढने जाएगी और अपना ज्ञान बढ़ाएगी
हाँ मेरी बहना अब अपना ज्ञान बढ़ाएगी
नये ज्ञान की रौशनी को वो हर-घर तक पहुचायेगी
नाचेंगी और गाएगी वो आगे बढती जाएँगी
वो तो नया ज़माना लाएगी

आभार- कमला भसीन